



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र01, दिल्ली छावनी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, DELHI CANTT.
Under Ministry of Education, Govt. of India)
सदर बाजार रोड, नई दिल्ली 110010
Sadar Bazar Road, New Delhi - 110010
(011) 25691083, CBSE Affiliation No. 2700006, School Code: 65631
Web.: www.nodelhicanтт.kvs.ac.in, E-mail:
kendriyavidyalaya205@gmail.com

F.25331 Adm./2026-27/KVDC1/ClassXIAdmn

Date: 16/04/2026

Class XI Admission Notice 2026-27

(Only for the Regular Students of PM SHRI KV No. 1 Delhi Cantt.)

Admission to Class XI (Science / Commerce / Humanities Streams) 2026-27 in PM SHRI Kendriya Vidyalaya No. 1 Delhi Cantt for successfully qualified students of this KV only in CBSE 2025-26 Class X Exam, will commence as per schedule:

Sl.No	Schedule	Date & Time
1	Download Option Form from the School Website. https://no1delhicanтт.kvs.ac.in [Announcement Section]	17/04/2026 onwards
2	Submission of complete Option in the Vidyalaya (Offline) [Please visit the Vidyalaya (Admission Block) for submitting the option form]	17/04/2026 to 25/04/2026 12:00 PM – 03:00 PM
3	Last Date of Submission of Option Form with all relevant documents in the Vidyalaya	25/04/2026, 03:00 PM
4	Display of Combined Merit List on Vidyalaya Website https://no1delhicanтт.kvs.ac.in , https://no1delhicanттshift2.kvs.ac.in/ [Please do not visit the Vidyalaya]	29/04/2026 At 04:00 PM
5	As per Combined Merit list : Offline Counselling	29/04/2026 to 05/05/2026, 1:00 PM to 04:00 PM

NOTE:

- Presence of Parents & Student in school uniform at the time of offline counselling is compulsory along with all original documents**
- Combined Merit list will be prepared as per the option form submitted. Hence, it is compulsory for all students and parents to submit the option form as per above schedule.
- No further change of subjects /section will be entertained after counselling session.
- Submission of online fees and other details will be communicated during counselling.

Registration for Admission of students from Other KV/CBSE school/ Other than CBSE boards will be notified on the website as per the availability of vacancy.

Note: For Details regarding admission, please visit KV No.1 Delhi Cantt website: <https://no1delhicanтт.kvs.ac.in> or KVS HQ website: <https://kvsangathan.nic.in>

Please write the order of preference of Available Subject Combination as 1, 2, 3, 4.....

First Shift :-

S NO.	Available Stream in Class XI	Available Subject Combination	Write the order of preference of the option
1	SCIENCE	ENG, PHY, CHEM, MATHS, COMPUTER SCIENCE/BIOLOGY	
2	SCIENCE	ENG, PHY, CHEM, MATHS/BIOLOGY, AI/HINDI (E)	
3	COMMERCE	ENG, ACCOUNTANCY, BUSINESS STDS, ECONOMICS, APPLIED MATHS/HINDI (E)	
4	COMMERCE	ENG, ACCOUNTANCY, BUSINESS STDS, ECONOMICS, AI/HINDI	
5	HUMANITIES	ENG, HISTORY, GEOGRAPHY, HINDI(E), ECONOMICS	
6	HUMANITIES	ENG, HISTORY, GEOGRAPHY, HINDI, PHYSICAL EDU. TRAINER	

Second Shift :-

S NO.	Available Stream in Class XI	Available Subject Combination	Write the order of preference of the option
1	SCIENCE	ENG, PHY, CHEM, MATHS, COMPUTER SCIENCE	
2	SCIENCE	ENG, PHY, CHEM, BIOLOGY/MATHS,HINDI /IP	
3	COMMERCE	ENG, BUSINESS STDS., ACCOUNTANCY, ECO, APPLIED MATHS/HINDI/IP	
4	HUMANITIES	ENG, HISTORY, GEO, HINDI, ECO/PAINTING	

Additional Subject - Physical Education Trainer / Yoga / AI

Note: A student can opt any subject (s) out of the combination given. However, if the number of students is less than 15 in any particular subject the student has to make his/ her own arrangement for study. As per KVS Norms.

I / We undertake that the above information is filled correctly, relevant documents are attached properly and order of preference of the option will not be changed at any stage. I have also gone through the eligibility criteria for Science, Commerce and Humanities and accordingly opt for the preference of option.

Full Sign. of Student with date

Full Sign. of Parent with date

Documents to be Enclosed with the Option Form

Option Form, **duly signed by parents.**

1. **Undertaking by the Parents** (as enclosed).
2. **Self-attested copy of CBSE mark sheet** (downloaded).
3. **Self-attested photocopy of Aadhar Card**
(Aadhar Enrolment Slip if Aadhar Card is not available).
4. **Self-attested copy of SC/ST/OBC Certificate** (in the name of the child) and **Disability Certificate** (if applicable).
5. **Proof of Residential Address**

Certificates for Availing Special Concessions (*Submit self-attested copies, wherever applicable*)

- a) NCC 'A' Certificate / Best Cadet Certificate
- b) SGFI / KVS National / State / KVS Regional / District Level Certificates
- c) Scouts & Guides:
 - Rashtrapati Puraskar Certificate /
 - Rajya Puraskar Certificate with Proficiency Badges /
 - Tiritiya Sopan Certificate with 05 Proficiency Badges
- d) Participation Certificate in at least 10-day adventure activity
- e) Affidavit from 1st Class Magistrate for Single Girl Child
- f) Certificate from employer of father/mother stating non-grant of Children Education Allowance **and** annual income certificate

The following Concessions will be allowed for Admission for Class XI :

- (A) Concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet / Scouting & Guiding / NCC / Adventure activities at various levels. The details are given in the option form. The Certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.
- (B) Students belonging to SC / ST /OBC/ Divyang(PH) would be given up-gradation in aggregate by 04% Marks for the purpose of admission to class XI on production of valid certificate.

Note: Maximum concession under Sports / Games / NCC /Scout / Guide /Adventure will not exceed 06% marks in aggregate. In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (A) and (B) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed.

माता-पिता द्वारा घोषणा पत्र /वचनबद्धता:

मैं _____ छात्र _____

(कक्षा _____) के माता-पिता, सत्र **2026-27** के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, दिल्ली

छावनी के सभी निर्देशों और नियमों का पालन करने का वचन देता/देती हैं:

1. मैं अपने बच्चे की फीस समय पर जमा करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे कानूनी दस्तावेजों, पते या फोन नंबर आदि में कोई बदलाव होता है, तो मैं तुरंत स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दूँगा/दूँगी।
3. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि मेरा बच्चा साफ-सुथरी वेशभूषा/ यूनिफॉर्म में, पौष्टिक भोजन और समय-सारणी (टाइम-टेबल) के अनुसार किताबों के साथ स्कूल जाए।
4. मैं नियमित रूप से अपने बच्चे के गृहकार्य /होमवर्क की निगरानी करूँगा/करूँगी और यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि वह रोज़ अपने पाठ दोहराए।
5. मैं बच्चे को स्कूल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फोन ले जाने नहीं दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा पाया जाता है, तो स्कूल प्रशासन को इसे ज़ब्त करने का अधिकार होगा जो वापस नहीं किया जाएगा।
6. मेरा बच्चा इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट्स देखता है, मैं इसकी निगरानी करूँगा/करूँगी।
7. मैं शिक्षकों या स्कूल अधिकारियों के बारे में सार्वजनिक रूप से या बच्चे और समाज के सामने कोई असम्मानजनक बात नहीं करूँगा/करूँगी।
8. मैं नियमित रूप से बच्चे की स्कूल डायरी चेक करूँगा/करूँगी, सभी टेस्ट कॉपियों पर हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी और डायरी में शिक्षकों द्वारा लिखे गए नोट्स का उचित जवाब दूँगा/दूँगी।
9. मैं बच्चे से जुड़ी किसी भी समस्या को आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत स्कूल प्रशासन के संज्ञान में लाऊँगा/लाऊँगी।
10. मैं अपने बच्चे को लंबी फोन कॉल्स पर बात करने और हर समय टीवी कार्यक्रमों से चिपके रहने से रोकूँगा/रोकूँगी। मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूँ कि मेरा बच्चा किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट -फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सक्रिय नहीं है।
11. मैं सभी पेरेंट्स-टीचर मीटिंग्स (PTM) और स्कूल के कार्यक्रमों में उपस्थित रहने की पूरी कोशिश करूँगा/करूँगी।
12. चिकित्सा कारणों या घर में किसी आपात स्थिति को छोड़कर, मैं स्कूल से छुट्टी नहीं माँगूँगा/माँगूँगी।
13. मैं स्कूल के नियमित कार्य दिवसों (working days) के दौरान अपनी वार्षिक छुट्टियाँ (vacation) प्लान नहीं करूँगा/करूँगी।
14. यदि मेरा बच्चा स्कूल से गलती से कोई ऐसी चीज़ घर ले आता है जो उसकी नहीं है, तो मैं उसे वापस स्कूल भिजवा दूँगा/दूँगी।
15. मैं अपने बच्चे के बाल साधारण रखवाऊँगा/रखवाऊँगी। मैं ध्यान रखूँगा/रखूँगी कि वह बालों में रंग या रंगीन लेंस का उपयोग न करे और समय पर स्कूल पहुँचे।
16. मैं इस बात पर ध्यान दूँगा/दूँगी कि मेरा बच्चा अपनी कॉपियों में साफ-सुथरा काम करे और अच्छी शब्दावली का प्रयोग करे।
17. किसी गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में, स्कूल द्वारा मेरे बच्चे के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मैं सम्मान करूँगा/करूँगी।
18. मैं अपने बच्चे को सह-पाठ्यचर्या (co-curricular) और अतिरिक्त गतिविधियों (extra-curricular activities) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूँगा/करूँगी।
19. मैं अपने बच्चे में पढ़ने की अच्छी आदतें विकसित करूँगा/करूँगी और इसके लिए उसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र और ज्ञानवर्धक किताबें उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।
20. मैं हमेशा शिक्षकों की राय का सम्मान करूँगा/करूँगी और उपचारात्मक कक्षाओं (remedial classes) में बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करूँगा/करूँगी।
21. मैं हर महीने अपने बच्चे की उपस्थिति और समय की पाबंदी पर नज़र रखूँगा/रखूँगी और यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि उसकी उपस्थिति कम से कम 75% रहे।
22. मैं सीबीएसई (CBSE) और केवीएस (KVS) द्वारा दिए गए कक्षा के उपस्थिति नियमों और पास होने के मानदंडों से अवगत रहूँगा/रहूँगी।

मैं समझता/समझती हूँ कि इन निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर शिक्षा संहिता (Education Code) के अनुच्छेद 60 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

माता के हस्ताक्षर

माता का नाम :

मोबाइल नं.:

दिनांक :

पिता के हस्ताक्षर

पिता का नाम:

मोबाइल नं.:

दिनांक:

छात्रों के लिए आचार संहिता केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 60 (A)के अनुसार छात्रों द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों और आचरण को दुराचार/ अनुशासनहीनता माना जाएगा:

- i) शिक्षकों या स्कूल के किसी अन्य कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करना।
- ii) जानबूझकर कक्षा में बाधा डालना ,कक्षा अटेंड न करना व अनावश्यक कक्षा के बाहर घूमना ।
- iii) शिक्षक /उप-प्राचार्य /प्राचार्य की अनुमति के बिना कक्षाओं से अनुपस्थित रहना।
- iv) दूसरों को डराना या धमकाना (Bullying)।
- v) छात्राओं के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार करना।
- vi) स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या खराब करना।
- vii) हड़ताल को बढ़ावा देना /कक्षाओं के संचालन में रुकावट डालना।
- viii) प्रतिबंधित बैन किए गए संगठनों के साथ जुड़ना।
- ix) छात्रों के बीच सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं को भड़काना।
- x) किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा / मारपीट में शामिल होना।
- xi) शिक्षक /उप-प्राचार्य /प्राचार्य के वैध आदेशों की अवहेलना करना /न मानना।
- xii) अनधिकृत /बाहरी लोगों या वस्तुओं को स्कूल के अंदर लाना।
- xiii) स्कूल या किसी अन्य छात्र की संपत्ति की चोरी या हेराफेरी करना।
- xiv) शिक्षकों, प्रशासन और स्कूल के खिलाफ सोशल मीडिया का उपयोग करना।
- xv) अनैतिक कार्यों में शामिल होना, तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करना।

B) उपर्युक्त अनुशासनहीनता के मामलों में, प्राचार्य महोदय अनुशासन समिति की रिपोर्ट और दुराचार की गंभीरता के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- i) छात्र और माता-पिता को मौखिक या लिखित चेतावनी देना।
- ii) एक निश्चित अवधि के लिए कक्षाओं /स्कूल में उपस्थित होने से निलंबित /सस्पेंड करना।
- iii) स्कूल की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करवाना।
- iv) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate/TC) जारी कर देना।
- v) स्कूल से निष्कासित /निकालना /Rusticate कर देना।

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती.....जो कक्षा.....में क्रमोन्नत हो रहा/रही हूँ, यह वचन देता/देती हूँ कि मैंने अपने माता-पिता की उपस्थिति में छात्रों के लिए बनाए गए इन महत्वपूर्ण निर्देशों और आचार संहिता को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है।

दिनांक :

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर